भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +16

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र पर अमेरिकी परामर्श का प्रभाव

+16 श्री एंटो एंटोनी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की यात्रा नहीं करने हेतु नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं को स्तर 3 यात्रा परामर्श जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ड.) क्या ऐसा परामर्श भारतीय पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को स्तर दो यात्रा परामर्श जारी किए हैं जिसमें अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा और बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- पर्यटन मंत्रालय ने 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मल्टी-लिंगुअल पर्यटक हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर 1800111363 या शॉर्ट कोड 1363 पर) शुरू की है।
- पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।
- सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग द्वारा आचार संहिता को अपनाना, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति तथा सुरक्षा एवं गरिमा जैसे बुनियादी अधिकारों के संबंध में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट शामिल है।

****